न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीविजयनगर
पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती शकुन्तला, आर.ए.एस.

प्र.सं. 91/2022
जीसीएमएस नं. : 2022/139

1. औंकार सिंह पुत्र रजीराम जाति कुम्हार निवासी 15 एएस ए तहसील श्रीविजयनगर

–प्रार्थी

बनाम

1. कुलवन्त पुत्र सहीराम जाति मेघवाल निवासी 15 एएस ए तहसील श्रीविजयनगर
2. अजीत सिंह पुत्र फतेह सिंह...........**(मृतक)**
   2/1. रमेश लाल पुत्र अजीत सिंह जाति रामदासिया निवासी 15 एएस ए तहसील श्रीविजयनगर
   2/2. गणेश पुत्र अजीत सिंह जाति रामदासिया निवासी 15 एएस ए तहसील श्रीविजयनगर
   2/3. कौशल्या पुत्री अजीत सिंह पत्नी तरसेम मेहरडा जाति रामदासिया निवासी वार्ड नं. 5 रायसिंहनगर
   2/4. कमला पुत्री अजीत सिंह पत्नी राजपाल जाति रामदासिया निवासी रेलवे स्टेशन गली नवाशहर पंजाब
   2/5. हरबंश सिंह.............**(मृतक)**
   2/5/1. किशन पुत्र हरबंश सिंह जाति रामदासिया निवासी दूर्गा मन्दिर के पास रामसिंहपुर
   2/5/2. उषा पुत्री हरबंश सिह पत्नी कृष्ण जाति रामदासिया निवासी जानकीदासवाला तहसील सूरतगढ़
   2/5/3. सीमा पत्नी हरबंश सिंह पत्नी सोमराज जाति रामदासिया निवासी त्रिमूर्ति मन्दिर के पास सूरतगढ़
   2/5/4. सुनीता पुत्री हरबंश सिंह पत्नी संतराम जाति रामदासिया निवासी 31 आरबी. ।। पोस्ट जीवनदेसर तहसील पदमपुर
   2/5/5. सुरेन्द्र पुत्र हरबंश सिंह जाति रामदासिया निवासी दूर्गा मन्दिर के पास रामसिंहपुर
   2/5/6. रानी पत्नी हरबंश सिंह जाति रामदासिया निवासी 55 जीबी रामसिंहपुर
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व श्रीविजयनगर

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :–

1. श्री नवीन कुमार सोनी, अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री भवानी पंवार, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1
3. श्री नवीन मिढ्ढा, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 2/1
4. एकपक्षीय, अप्रार्थी सं. 2/2 से 2/6
5. राजपैरोकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2026.01.20 18:47:56 IST
Reason: SelfAttested

–:: निर्णय ::–

दिनांक :29.12.2025

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि –

1. प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी के नाम की खातेदारी भूमि 15 एएस ए मु.नं. 45 प.नं. 220/471 कि.नं. [illegible]/1, 14/1, 14/2, 15/1, 15/2, 16/1, 17/1, 18/1 का 0.936है. भूमि माण्ड मय खाला में आवागमन एवं कृषि औजार लाने ले जाने के लिए चक 15 एएस ए प.नं. 220/471 कि.नं. 1 ता 5 में चालू स्वीकृतशुदा रास्ता से आगे अप्रार्थीगण की भूमि चक 15 एएस ए मु.नं. 45 प.नं. 220/471 कि.नं. 5, 6 में पूर्व दिशा की ओर उत्तर से दक्षिण 16.5 फुट चौडा 2 बीघा लम्बाई तक रास्ता स्वीकार करने हेतु निवेदन किया।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 व अप्रार्थी सं. 2/1 जरिए अधिवक्ता उपस्थित हुए। राजपैरोकार उपस्थित। अप्रार्थी सं. 2/2 से 2/5/6 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। तहसीलदार श्रीविजयनगर/भू.अ.नि. से रिपोर्ट तलब की गयी। तहसीलदार श्रीविजयनगर के पत्रांक 833 दिनांक 11.08.2023 के द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई।

3. अप्रार्थी सं. 1 जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थना पत्र की समस्त मदों को स्वीकार करते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी के रकबा प.नं. 220/471 मु.नं. 45 कि.नं. 5 के 0.025है. में से रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो अप्रार्थी को कोई उज्र व एतराज नहीं है।

4. अप्रार्थी सं. 2/1 जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कियह तथ्य स्वीकार है कि 15 ए.एस.ए तहसील श्री विजयनगर का पत्थर नम्बर 220/471 का किला नम्बर 1 ता 5 के उत्तरा में स्वीकृत शुद्धा रास्ता आम है जो कि मौका पर चालू है। प्रार्थी के रकबा में आवागमन के लिऐ स्वीकृत शुद्धा रास्ता नही होने के तथ्य रिकार्ड की विषयवस्तु होने के कारण इसे साबित करने का भार प्रार्थी पर है। उपरोक्त मुरब्बा का किला नम्बर 5 अप्रार्थी संख्या 1 कुलवन्त सिंह के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होने के तथ्य मुताबिक रिकार्ड स्वीकार है लेकिन मौका पर किला नम्बर 5 में पत्थर लाईन के साथ–साथ उत्तर से दक्षिण की और 2 बिस्वा भूमि एंव इसके आगे अप्रार्थी संख्या 2/1 के पिता अजीत सिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किला जात संख्या 6 में दो बिस्वा भूमि के उत्तर से दक्षिण की और की भूमि में कोई रास्ता नही है और ना ही प्रार्थी रास्ता के रूप में किलाजात संख्या 5 वा 6 की भूमि का उपयोग कर रहा है। अप्रार्थी के पिता स्वर्गीय श्री अजीत सिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज खातेदारी कृषि भूमि के किलाजात संख्या 6 में कोई रास्ता मौका पर नहीं है और ना ही किलाजात संख्या 6 की भूमि में से दो बिस्वा भूमि में आने जाने एंव कृषि औजारो को लाने ले जाने के लिए प्रार्थी उपयोग करता आ रहा है। विकल्प में निवेदन है कि माननीय न्यायालय अप्रार्थी मुजीब के पिता अजीत सिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रकबा के किला नम्बर 6 की भूमि में से किसी कारणवंश यदि रास्ता स्वीकृत करने का आदेश पारित करती है तो अप्रार्थी मुजीब को रास्ता की भूमि की एवज में सामान मात्रा में उतनी ही भूमि प्रार्थी ओंकार सिंह के नाम दर्ज किलाजात की भूमि में से जो अप्रार्थी मुजीब की भूमि के किलाजात के साथ चिपती भूमि में से दिलवाई जावें ताकि अप्रार्थी मुजीब कोई साम्पतिक नुकसान ना हों। अप्रार्थी मुजीब भूमि के बदले किसी प्रकार की कोई प्रतिफल राशि नहीं लेना चाहता है बल्कि भूमि की एवज में उतनी ही भूमि लेना चाहता है जो कि न्यायहित में न्यायोचित है। वादाधीन रकबा उपरोक्त वर्णित के किलाजात संख्या 13–18–19–22–23–24–25 के खातेदार प्रेमकुमार एंव किला नम्बर 1 ता 4 के खातेदार धन्नाराम को पक्षकार मुकदमा नही बनाया गयाहै। प्रार्थना पत्र नॉन ज्योईन्डर ऑफ पार्टीज से ग्रस्त होने के कारण काबिले निरस्ती के है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मय हरजा खर्चा खारिज फरमाया जावें। विकल्प में निवेदन है कि माननीय न्यायालय अप्रार्थी मुजीब के पिता अजीत सिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज उपरोक्त रकबा के किला नम्बर 6 की भूमि में से किसी कारणवंश यदि रास्ता स्वीकृत करने का आदेश पारित करती है तो अप्रार्थी मुजीब को रास्ता की भूमि की एवज में सामान मात्रा में उतनी ही प्रार्थी ओंकार सिंह के नाम दर्ज किलाजात की भूमि में से जो अप्रार्थी मुजीब की भूमि के किलाजात के साथ चिपती भूमि में से दिलवाई जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2026.01.20 18:47:56 IST
Reason: SelfAttested

5. बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी। वकील प्रार्थी अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी को अपनी भूमि में आवागमन हेतु कोई स्वीकृतशुदा अथवा अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं है। प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता ही एकमात्र नजदीकी एवं सुगम मार्ग है जो पहले से चल रहे स्वीकृतशुदा मार्ग से जुड़ता है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे। अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1 प्रार्थना पत्र स्वीकार किये

उपखण्ड अधिकारी श्री विजयनगर

जाने पर सहमति प्रकट की और अप्रार्थी की भूमि में से रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है का कथन किया। अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 2/1 अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश किया गया है अप्रार्थी की भूमि में से कभी रास्ता नहीं चला है ना ही प्रार्थी द्वारा कभी अप्रार्थी की भूमि में से अपनी भूमि में प्रवेश हेतु आवागमन किया गया है। इसी मुरब्बा नं. के अन्य खातेदार काश्तकारों को पक्षकार संयोजित नहीं किये जाने के कारण प्रार्थना पत्र पक्षकारों के असंयोजन/कुसंयोजन के आधार पर खारिज किये जाने योग्य है। यदि फिर भी न्यायालय अप्रार्थी की भूमि में से रास्ता स्वीकार करता है तो अप्रार्थी मुआवजा राशि प्राप्त करना नहीं चाहता अप्रार्थी को प्रार्थी से उसकी भूमि की चिपती रास्ता में आई भूमि के समान भूमि दिलाने के आदेश पारित करने हेतु निवेदन किया। इस पर अधिवक्ता प्रार्थी निवेदन किया कि प्रार्थी व अप्रार्थी की भूमि चिपती हुई नहीं है मध्य में खाला है, इस कारण भूमि की एवज में भूमि दिया जाना संभव नहीं है। अधिवक्ता अप्रार्थी कथन किया कि खाला बाधा नहीं है, भूमि के बदले भूमि मुआवजा के तौर पर दी जावे।

6. बहस वकील उभयपक्ष पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। विवादित भूमि का स्वयं पीठासीन अधिकारी द्वारा मौका निरीक्षण किया गया। तहसीलदार श्रीविजयनगर की रिपोर्ट के माध्यम से प्राप्त रिपोर्ट भू.अ.नि. कूंपली का अवलोकन किया। मुताबिक रिपोर्ट चाहे गये रास्ते की परम आवश्यक्ता है। जोत तक पंहुचने हेतु वैकल्पिक रास्ते का पूर्ण अभाव है। अब तक प्रार्थी चाहे गये रास्ते को ही टेडा-मेडा उपयोग कर रहा है। केवल मात्र यही एक निकटतम/लघूतम रास्ता है। चाहा गया रास्ता व्यवहारिक है। रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत नक्शा का अवलोकन किया। प्रकरण में यह तो स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा रास्ता बाबत की जा रही मांग अत्यांतिक आवश्यक्ता की श्रेणी में आती है तथा प्रार्थी को अपनी भूमि में आवागमन हेतु वैकल्पिक मार्ग का अभाव है। अप्रार्थी सं. 1 द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रास्ता स्वीकार किये जाने पर अपनी सहमति प्रकट की गयी है। अप्रार्थी सं. 2/1 के द्वारा निवेदन किया गया है कि यदि उनकी भूमि में से रास्ता स्वीकार किया जाता है तो उन्हें रास्ते में आई भूमि के समान भूमि मुआवजा के तौर पर दिलाई जावे। राजस्व रिकार्ड जमाबंदी अनुसार प्रार्थी व अप्रार्थी की भूमि के मध्य खाला दर्ज है। ऐसे में भूमि की एवज में भूमि के आदेश पारित किया जाना अव्यवहारिक है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र रास्ता में आई भूमि की डीएलसी दर की दो गुणा राशि प्रतिकर पर स्वीकार किया जाना न्यायसंगत है।

–: आदेश :–

7. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थीगण की भूमि चक 15 एएस ए मु.नं. 45 प.नं. 220/471 कि.नं. 5, 6 में पूर्व दिशा की ओर उत्तर से दक्षिण 2-2 विस्वा गै.मु. रास्ता स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी रास्ता में आई भूमि की एवज में अप्रार्थीगण को रास्ता में आई भूमि की डीएलसी दर की दो गुणा राशि अदा करेगा। तहसीलदार श्रीविजयनगर प्रतिकर रा[illegible]णना करते हुए नियमानुसार प्रार्थी से राशि जमा करवा अप्रार्थीगण [illegible] अंश अनुसार भुगतान करे तथा स्वीकृतशुदा गै.मु. [illegible] अमलदरामद करें। निर्णय की प्रति तहसीलदार श्रीविजयनगर को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक [illegible].12.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

शकुन्तला
उपखण्ड अधिकारी
श्रीविजयनगर

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2026.01.20 18:47:56 IST
Reason: SelfAttested